बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संकल्प

संचिका सं०–8प/वि–5–19/2020/पं०रा०/758/ पटना,दिनांक– 03/2/2021

विषय :– ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को नगर निकायों में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशिष्ट ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रहने पर उन्हें यथावत रखने एवं 3000 से कम रहने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर उनके पुनर्गठन तथा नामकरण के संबंध में।

राज्य की कई ग्राम पंचायतों के कुछ अंश को नगर निकाय में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप उक्त ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की आवश्यकता हो गयी है।

2. ग्राम पंचायतों के गठन/पुनर्गठन एवं उसकी वैधिकता/औचित्य के बिन्दु पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 के उप नियम (1) एवं (2) में प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज विभाग के वैधानिक आदेश संख्या–5608 दिनांक–15.10.1993 में ग्राम पंचायतों के गठन/पुनर्गठन एवं नामकरण के संबंध में विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 के अधीन राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों को आंशिक रूप से नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की कार्रवाई निम्नरूपेण की जाएगी :–

(1) जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों की आबादी 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रह जाएगी और उनका मुख्यालय ग्राम, ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही बचा होगा, तो अवशिष्ट ग्राम पंचायत क्षेत्र को पूर्व नाम के साथ ग्राम पंचायत के रूप में बने रहने दिया जाएगा। अगर नगर निकाय क्षेत्र में उक्त ग्राम पंचायत का मुख्यालय ग्राम भी समाहित हो गया है, तो पुनर्गठित ग्राम पंचायत के लिए मुख्यालय ग्राम का निर्धारण एवं उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र का नामकरण वैधानिक आदेश संख्या–5608 दिनांक–15.10.1993 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

(2) जहाँ नगर निकाय में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 से कम रह जाएगी, वहाँ उस क्षेत्र को समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में शामिल कर पूर्व ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा तथा आवश्यकता होने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत का पुनर्गठन/नामकरण वैधानिक आदेश संख्या–5608 दिनांक–15.10.1993 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

4. पुनर्गठन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत एवं इसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण में किसी संभावित परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार विधि विभाग के परामर्श से अलग से निर्देश जारी कर सकेगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

3.3.21

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–8प/वि–5–19/2020/पं०रा०/ 758 / पटना, दिनांक– 03/2/2021
प्रतिलिपि :–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की एक सौ (100) प्रतियाँ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा करें।

3.2.21
(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–8प/वि–5–19/2020/पं०रा०/ 758 / पटना, दिनांक– 03/2/2021
प्रतिलिपि :–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत को सूचनार्थ अग्रसारित।

3.2.21
(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–8प/वि–5–19/2020/पं०रा०/ 758 / पटना, दिनांक– 03/2/2021
प्रतिलिपि :–सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार विधान सभा/मुख्यमंत्री सचिवालय/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3.2.21
(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–8प/वि–5–19/2020/पं०रा०/ 758 / पटना, दिनांक– 03/2/2021
प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

3.2.21
(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–8प/वि–5–19/2020/पं०रा०/ 758 / पटना, दिनांक– 03/2/2021
प्रतिलिपि :–आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

3.2.21
(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

अधिसूचना

वैधानिक आदेश- 7प/म-109/93-5608 ग्रा० पं० दिनांक 15.10.1993- बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 (अधिनियम 19,1993) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा के निमित्त निम्नलिखित आदेश देते हैं:—

आदेश

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त के सामान्य अथवा विशेष आदेश, निदेश एवं अनुदेश के अन्तर्गत जिला दंडाधिकारी प्रत्येक प्रखण्ड में अवस्थित ग्रामों के लिये ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करेगा।

2. ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण प्रखण्ड के उत्तर-पश्चिम से प्रारम्भ होकर दक्षिण-पूर्व में समाप्त होगा।

3. किसी ग्राम को विभक्त नहीं किया जायगा जबतक कि उसमें दो या उससे अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक नहीं हो।

4. एक से अधिक ग्रामों को समाविष्ट कर घोषित ग्राम पंचायत क्षेत्र का मुख्यालय उक्त क्षेत्र में समाविष्ट अधिसंख्यक जनसंख्या के ग्राम में होगा।

5. परन्तु यदि उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछडे वर्गों की संख्या उक्त क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हो तो उसका मुख्यालय वह ग्राम होगा जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछडे वर्गों की संख्या (का अनुपात) सबसे अधिक हो।

6. ग्राम पंचायत क्षेत्र का नाम उस ग्राम के नाम से घोषित किया जायेगा जिस ग्राम में ग्राम पंचायत का मुख्यालय अवस्थित होगा, परन्तु जहाँ एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक हो वहाँ संबंधित क्षेत्र की अवस्थिति की दिशा के साथ उसी ग्राम के नाम से घोषित किया जायेगा।

7. ग्राम पंचायत क्षेत्र के निर्धारण का प्रारूप प्रपत्र -1 में ग्राम पंचायत, संबंधित प्रखण्ड कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर चिपका कर प्रकाशित किया जायेगा।

8. प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर प्राप्त सुझाव/ आपत्ति पर सम्यक विचार कर जिला दंडाधिकारी ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण करेगा।

9. निर्धारित ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रपत्र -2 में जिला गजट में प्रकाशित की जायेगी।

---

1. बिहार अधिनियम 2, 1994 द्वारा अन्तः स्थापित।
2. अन्तः स्थापित तत्रैव।